

**न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)**  
**बईजलास श्री रोहिताश्व सिंह तोमर, आई.ए.एस.**

मुकदमा सं. 36/2026

**प्रार्थी**

सरकार जरिए प्रवर्तन निरीक्षक, आबूरोड जिला सिरौही।

**बनाम**

**अप्रार्थी**

श्री अशोक पुत्र श्री हरीशचन्द्र निवासी आबूरोड जिला सिरौही प्रो. आबूराज फास्ट फूड, आबूरोड मार्केट, जिला सिरौही।

**प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955**

**उपस्थिति :-**

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, सिरौही, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

**निर्णय**

**दिनांक 04.06.2026**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.02.2026 को सुश्री अस्मिता मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा आबूराज फास्ट फूड, आबूरोड मार्केट, जिला सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ करने से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया था।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी स्वयं द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। अतः प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी सिरौही एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 24.02.2026 को सुश्री अस्मिता मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक आबूरोड द्वारा आबूराज फास्ट फूड, आबूरोड मार्केट, जिला सिरौही की आकस्मिक जांच करने पहुंचने पर वहां पर एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय रबड पाईप नोजल एवं रेगुलेटर भट्टी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया, जिसका उपयोग प्रतिष्ठान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था। इस प्रकार मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ करने से अप्रार्थी द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो

**जिला कलेक्टर, सिरौही**

.....पेज नं. 02

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध होने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। अतः कब्जे सरकार लिये गये गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में नहीं आ रहा था। उक्त सिलेण्डर मेरे काम करने वाले मजदूर श्री शंकरलाल पुत्र श्री रूपाजी का था, जो अप्रार्थी की दुकान पर रखा था, जिसे थोड़ी देर में घर ले जाना था। उक्त सिलेण्डर का किसी भी स्थिति में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था और न ही वह व्यावसायिक उपयोग करना चाहता था। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध गलत मुकदमा दर्ज कर सिलेण्डर जब्त किया गया है। अतः नम्र निवेदन है कि अप्रार्थी की उनके विरुद्ध कार्यवाही को समाप्त कर जब्तशुदा सिलेण्डर को सुपूर्द करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में उभय पक्ष की सुनी गई बहस एवं न्यायालय पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त निष्कर्ष इस प्रकार है कि अप्रार्थी द्वारा एक 14.2 किग्रा. घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ व्यवसाय में किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की दुकान आबूराज फास्ट फूड, आबूरोड मार्केट, जिला सिरोही की आकस्मिक जांच करने पर पाया गया कि वक्त निरीक्षण अप्रार्थी द्वारा एक घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग दुकान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ कार्य किया जा रहा था। घरेलू गैस सिलेण्डर का दुकान पर नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जाना वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी से उक्त सिलेण्डर के बारे में पूछा तो अप्रार्थी कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाने से निरीक्षण दल द्वारा उक्त एक घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया है। इसके अतिरिक्त मौके की फोटो के अवलोकन से यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जिस दुकान से उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर को कब्जे सरकार लिया गया, उस प्रतिष्ठान पर वक्त निरीक्षण नाश्ता इत्यादि बनाने का कार्य किया जा रहा था, जो कि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि कब्जे सरकार लिया गया सिलेण्डर अप्रार्थी की दुकान पर काम करने वाले मजदूर श्री शंकरलाल पुत्र श्री रूपाजी का था, जो अप्रार्थी की दुकान पर रखा था, जिसे थोड़ी देर में घर ले जाना था, जिसकी गैस डायरी भी अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा गैस डायरी बाद में प्रस्तुत की गई है, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि उक्त गैस डायरी कब्जे सरकार लिए गए सिलेण्डर की ही है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग अनाधिकृत रूप से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ किया जाने से केन्द्रीय सरकार के लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन सप्लाय एंड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश 2000 की क्लॉज 3/2 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अपराध है।



अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिया गया एक घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त सरकार किया जाना उचित प्रतीत होने से कब्जे सरकार लिये गये एक घरेलू गैस सिलेण्डर को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरौही कब्जे सरकार लिए गए एक घरेलू गैस सिलेण्डर में भरी हुई गैस को नियमानुसार निर्धारित दर पर बेचान कर खाली सिलेण्डर सम्बन्धित गैस कम्पनी को सुपुर्द कर प्राप्त राशि राजकोष के उचित लेखा मद में जमा कराने की कार्यवाही करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।



(रोहिताश्व सिंह तोमर)  
जिला कलक्टर, सिरौही